सुपर बाजार के कर्मचारियों के वेतन-बिल

1299. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार के कर्मचारियों के वेतन-बिल (वेज-बिल) विकास दर के अनुरूप हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) वेतन-बिलों की तुलना में सुपर बाजार की वर्तमान अर्जित लाभ-दर कितनी है और सुपर बाजार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले अंतिम लाभों का ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा): (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि गत वर्ष के मुकाबले 1994-95 के दौरान सुपर बाजार के मजदूरी बिल में हुई वृद्धि कुल लाभ में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक है।

(ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि क्योंकि वे अपने कर्मचारियों को वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, बोनस इत्यादि का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, अतः मजदूरी बिल में निरन्तर वृद्धि हो रही है। तथापि, उपचारात्मक कदम के रूप में मार्च, 1988 से नई भर्ती पर प्रतिबन्ध है।

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान बिक्री के मुकाबले जहां निवल लाभ क्रमशः 7.83%, 8.03% तथा 8.38% निकलता है, उसी अवधि के दौरान स्थापना व्यय क्रमशः 7.19%, 7.16% तथा 7.49% निकलता है। सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि सुपर बाजार के कर्मचारी वेतन भत्तों, चिकित्सा सुविधाओं, छुट्टी नकदीकरण तथा बोनस इत्यादि के हकदार हैं।

दिल्ली में श्रम सम्मेलन

1300. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नवम्बर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में दो दिवसीय श्रम-सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) सम्मेलन में चर्चा के दौरान प्रस्तुत किए गए सुझावों और प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार क्या निर्णय लेने का विचार रखती है;

(घ) क्या सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम को संशोधित करने की किसी संभावना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार किया है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार इस कार्य को कब तक पूरा कर लेने का विचार रखती है?

श्रम मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) जी, हां। भारतीय श्रम सम्मेलन का 32वां सत्र 23-24 नवम्बर, 1995 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ख) केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों और नियोक्ता संगठनों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए थे। सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया था।

(1) सेवाओं/रोजगारों की कतिपय श्रेणियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि से छूट प्रदान करने के लिए — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ञ) में संशोधन।

(2) असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा।

(3) रोजगार कार्यालयों का पुनर्गठन।

(4) व्यावसायिक प्रशिक्षण का पुनर्गठन।

(5) प्रबंध में कर्मकार सहभागिता विधेयक, 1990।

(ग) भारतीय श्रम सम्मेलन के 32वें सत्र के निर्णय अनुबंध-1 के रूप में संलग्न हैं। सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और प्रस्ताव प्रारूपित करते समय भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(ञ) की अधिसूचना से संबंधित मुद्दे पर श्रम मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था। चूंकि इस मुद्दे पर नियोजकों और व्यवसाय संघों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया था अतः भारतीय श्रम सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि इस मामले को व्यापक रूप से

विचार-विमर्श के लिए स्थायी श्रम समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए।

भारतीय श्रम सम्मेलन के 32वें सत्र के निर्णय: विज्ञान भवन, नई दिल्ली: 23 और 24 नवम्बर, 1995

23 और 24 नवम्बर, 1995 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री जी० वेंकट स्वामी की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 32वें सत्र में औपचारिक कार्यसूची में सूबीबद्ध मदों के अलावा श्रम और उद्योग की समस्याओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिए गए:—

भारतीय श्रम सम्मेलन और इसके निकाय तथा त्रिपक्षीयता

1. त्रिपक्षीयता का सिद्धांत देश में औद्योगिक संबंधों का सार रहा है, भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठकों से पहले स्थायी श्रम समिति की बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए; इस उद्देश्य से कि भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णयों पर क्रमिक ढंग से कार्रवाई की जा सके, त्रिपक्षीय पुनरीक्षा समिति की नियमित बैठकें भी आयोजित की जानी चाहिए; भारतीय श्रम सम्मेलन की प्रत्येक बैठक से पूर्व स्थायी श्रम समिति की बैठक के अलावा, ऐसी पुनरीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित की जानी चाहिए; एक वर्ष में, तब चार बैठकें होंगी:—दो पुनरीक्षा समितियों की, एक स्थायी श्रम समिति की और एक भारतीय श्रम सम्मेलन की; स्थायी श्रम समिति और भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठकें भली-भांति पहले से ही निर्धारित की जानी चाहिए; स्थायी श्रम समिति की अगली बैठक 13 सितम्बर, 1996 को और भारतीय श्रम सम्मेलन की अगली बैठक 24 तथा 25 अक्तूबर, 1996 को आयोजित की जाएगी।

2. भारतीय श्रम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की व्याख्या उन सतत् महत्व के मामलों के रूप में की जानी चाहिए, जब तक उनका समुचित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा निटपान नहीं किया जाता; और भारतीय श्रम सम्मेलन के 31वें सत्र के ऐसे निर्णयों जिन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है, का पुनरीक्षा समिति की बैठकों के माध्यम से अनुसरण किया जाना चाहिए।

औद्योगिक संबंध

3. बैंकिंग, कोयला, कपड़ा जिसमें जूट भी शामिल है जैसे क्षेत्रों में प्रमुख उद्योगवार हड़तालों को आर्थिक विवक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, श्रम मंत्रालय को ऐसे क्षेत्रों में विवादों का सक्रियता पूर्वक त्वरित और प्रभावी बातचीत द्वारा समाधान सुगम बनाना चाहिए।

4. निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों में श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि संबंधित कर्मकारों की विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत लागू पूर्ण श्रम संरक्षण प्रदान किया जा सके।

5. पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने और उन्हें पर्याप्त अनुसचिवीय स्टाफ सहायता मुहैया करवाने में विलम्ब के कारण औद्योगिक न्याय-निर्णयन गंभीर रूप से पंगु होता जा रहा है; इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि इन रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जा सके और पर्याप्त रूप से अनुसचिवीय स्टाफ मुहैया करवाया जा सके।

मजदूरी

6. देश में एक समान न्यूनतम मजदूरी को शुरू करने के कार्यक्षेत्र की और जांच-पड़ताल की जानी चाहिए ताकि कठोर मजदूरी असमानताओं के कारण उद्योगों का पलायन और क्षेत्रों में अचानक बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न न हो।

7. बोनस संदाय अधिनियम के अंतर्गत बोनस के लिए पात्रता और गणना की अधिकतम सीमा समाप्त की जानी चाहिए। (नियोजकों ने इस पर आपत्तियां की हैं, वे बोनस की पूरी तरह से समीक्षा चाहते थे, जबकि कर्मकारों के व्यवसाय संघ संगठन इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि वे कुशल कर्मकारों के विरुद्ध हैं जो सामान्य तथा तुलनात्मक रूप से अधिक मजदूरी प्राप्त करते हैं, ऊपर वर्णित अधिकतम सीमाओं को समाप्त किए जाने पर पूरी तरह से सहमत हैं)।

सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

8. संशोधित मंहगाई भत्ता फार्मूला, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कर्मचारियों के लाभार्थ कार्यान्वित किया गया है, पर आगे विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

9. सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के प्रबंधनों को मजदूरी समझौते से संबंधित मुद्दों सहित पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

आर्थिक सुधार, औद्योगिक पुनर्संरचना और सामाजिक आयाम

10. एन०टी०सी० पुनर्संरचना संबंधी योजना को कार्यान्वित किया जाना चाहिए; निरर्थक मजदूरी की अदायगी और मशीनों के मूल्य ह्रास की स्थिति को तत्काल समाप्त किये जाने की आवश्यकता है।

11. को-ऑपरेटिव आधार पर पुनर्गठित जूट मिलों के लिए वित्तीय सहायता अविलम्ब प्रदान की जानी चाहिए।

12. औ० एवं वि० पु० निर्माण बोर्ड को प्रबंधन और श्रम के क्षेत्रों से विशेषज्ञों में से पुनर्गठित किया जाना चाहिए; रुग्ण उद्यमों की पुनर्संरचना में देरी को कम करने के लिए औ० एवं वि०पु० निर्माण बोर्ड की प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से सरल बनाया जाना चाहिए; समापन और परिसमापन कार्यवाहियों के निपटान में अब होने वाले अनावश्यक विलम्ब को, कानूनों को सरल बनाकर कम किया जाना चाहिए।

13. समुचित उपचारात्मक और निवारक उपाय विकसित करने के लिए औद्योगिक उद्यमों में रुग्णता का विस्तृत और व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए।

14. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण, आपूर्ति की पर्याप्तता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देकर सुचारू किया जाना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा

15. जबकि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन भविष्य निधि में अंशदान करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का स्वागत किया गया है, तथापि, श्रम मंत्री के साथ विभिन्न हितबद्ध ग्रुपों द्वारा किए गए क्रमिक विचार-विमर्शों के दौरान दिए गए विभिन्न उपयोगी सुझावों पर विचार करके इस योजना में और संशोधन किया जाना चाहिए, इस पेंशन योजना के ब्यौरों का व्यापक रूप से प्रकाशन भी किया जाना चाहिए ताकि भिन्न-भिन्न वर्गों द्वारा उठाई जा रही शंकाओं का निवारण हो सके, और पेंशन निधि का कुशल प्रबंधन और देय पेंशन का ठीक ढंग से भुगतान किए जाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। [सीटू यूटक और यूटक (एल एस)] ने इस पर आपत्तियां की जबकि इंटक, एटक, एच एम एस, बी एम एस, एन एल ओ और टी यू सी सी ने एक मत से इन योजनाओं का स्वागत किया है।

16. उपदान संदाय किए जाने की चूक किए जाने के गंभीर मामले सामने आए हैं, चूक की गई देय राशियों का निपटान किया जाए और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएं कि ऐसी चूक की पुनरावृत्ति न हो।

17. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में विशेष करके एकदम निचले स्तर पर सतर्कता तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि अंशदाताओं को बिना किसी विलम्ब अथवा बाधा के सेवाएं प्राप्त हो सकें।

18. बेरोजगारी, बीमा शुरू करने की गुंजाइश का पता लगाना चाहिए ताकि नौकरी की हानि के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जा सके।

19. श्रम मंत्रालय को देश में कार्यान्वित की जा रही विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर एक स्थिति पत्रक प्रस्तुत करना चाहिए और विशेष करके उसमें विभिन्न राज्यों के अनुभवों को प्रतिबिम्बित करना चाहिए और इस मामले को स्थायी श्रम समिति में विचार के लिए प्रस्तुत करना चाहिए; संगठित क्षेत्र पर लागू विद्यमान सामाजिक सुरक्षा कानूनों और प्रणालियों को असंगठित क्षेत्र पर भी विस्तारित किए जाने की गुंजाइश की भी जांच की जानी चाहिए।

रोजगार

20. रोजगार सृजन के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत अध्ययन कराए जाने चाहिएं; कृषि-आधारित औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिए जाने में की गई प्रगति का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, और महिलाओं के रोजगार में वृद्धि करने के लिए विद्यमान कानूनों की समीक्षा करने और जहां उपयुक्त हो, उनमें संशोधन करने सहित विशेष उपाय किए जाने चाहिएं।

21. रोजगार कार्यालयों के आधुनिकीकरण और उनकी पुनर्संरचना से संबंधित मुद्दों की राज्य रोजगार निदेशकों की विशेष बैठक में सर्वप्रथम जांच-पड़ताल की जानी चाहिए और बाद में इसकी जांच पड़ताल राज्य श्रम मंत्रियों की अगली बैठक में की जानी चाहिए, तत्पश्चात् इस विषय को स्थायी श्रम समिति और भारतीय श्रम आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

22. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली को आधुनिकीकृत किया जाना चाहिए, रोजगार बाजार से संगत नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए; ऐसे पाठ्यक्रमों को और अधिक व्यवहारोन्मुख होना चाहिए; और प्रशिक्षणार्थियों को बहु-कौशल प्रदान किए जाने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए; व्यावसायिक

प्रशिक्षण प्रणाली की पुनर्संरचना संबंधी कार्यसूची पर किए गए प्रस्तावों पर सबसे पहले राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और बाद में उसे स्थायी श्रम समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

पर्यावरण और श्रम सुरक्षा

23. पर्यावरण सुरक्षा संबंधी उपाय श्रम से संबंधित विषयों को विविध रूपों में प्रभावित करते हैं। अतः उन सरकारी निकायों जो पर्यावरणीय मानकों को स्थापित करने और उन्हें विनियमित करने के कार्य में नियुक्त है, में कर्मकारों के संगठनों को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए।

बाल श्रम

24. बाल श्रम का उन्मूलन करने वाली योजनाओं का कार्यान्वयन करने के कार्य में व्यवसाय संघों को बढ़ चढ़ कर अंतर्ग्रस्त किया जाना चाहिए; कार्यान्वित की जा रही बाल श्रम उन्मूलन योजनाओं की त्रिपक्षीय समीक्षा भी की जानी चाहिए, बाल श्रम सलाहकार बोर्ड की बैठकें और नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए, रोजगार से निकाले गए बालकों के अभिभावकों के लिए विशेष प्रोत्साहनों की व्यवस्था की जानी चाहिए और राज्य सरकारों को ये शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए कि वे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गैर-जोखिम-कारी व्यवसायों (जो अनुसूचित जोखिमकारी व्यवसाय और प्रक्रियाएं नहीं हैं) में भी बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध कर दें।

विधान-निर्माण

25. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(ञ) को अधिसूचित किए जाने से संबंधित मुद्दा, जिस पर नियोजक और कर्मकार सहमत नहीं हैं (नियोजक इस उपबंध को अधिसूचित किए जाने के पक्ष में हैं और कर्मकार ऐसा नहीं चाहते, और कुछ राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने के बाद इसे अधिसूचित किया जाए), को स्थायी श्रम समिति के समक्ष विस्तृत विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाए।

26. नियोजक कर्मचारियों की सहभागिता विधेयक का विरोध कर रहे हैं और उनकी राय है कि द्विपक्षीय सहभागी तंत्र की व्यवस्था की जाए, कर्मकार विधिक ढांचे की मांग कर रहे हैं, विधेयक और उसमें विभिन्न वर्गों द्वारा प्रस्तावित किए गए संशोधनों और संसदीय समिति की रिपोर्ट पर समीक्षा समिति में विचार-विमर्श करने के पश्चात् स्थायी श्रम समिति में आगे विचार किया जाएगा।

27. कृषीय कर्मकारों को सुरक्षा दिए जाने से संबंधित कानून के अधिनियमन से संबंधित प्रस्ताव को त्रिपक्षीय विचार-विमर्श के लिए स्थायी श्रम समिति में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Schemes for the Welfare of Child Labourers in Hazardous Industries

1301. SHRI MOOLCHAND MEENA:
SHRI SANJAY DALMIA:
MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the States where National Authority on Child Labour has adopted a multipurpose scheme for the welfare of the child labourers working in hazardous industries;

(b) the details thereof; and

(c) the steps being taken by Government in accordance with these suggestions?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) The National Authority for Elimination of Child Labour (NAECL) has adopted a circular on "Identification, release and rehabilitation of child labour". This circular covers the range of action required to be taken to tackle the problem of child labour in hazardous occupations. It calls for convergence of services and schemes of the Central and State Govt. at the implementing level for child labour elimination efforts to be successful. This circular has already been forwarded to all the State Govts. by Hon'ble Prime Minister and Union Labour Minister.

The NAECL also recommended that efforts to eliminate child labour in hazardous occupations should be started in the most child labour endemic districts in the country. Accordingly, a Workshop for Collectors from the most child labour